खण्ड-118, अंक-1
सोमवार, 27 माघ, शक संवत् 1874
(16 फरवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 118 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

खंड ११:

सोमवार, १६ फरवरी, १९५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण	५–१०
प्रश्नोत्तर	११–१६
श्री गोपाल स्वामी आयंगर के निधन पर शोकोद्गार ..	१६–१९
श्री जगन्नाथ खन्ना, एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	१९–२०
आय-व्ययक के संबंध में श्री नारायणदत्त तिवारी का प्रस्ताव (स्थगित किया गया)	२०
इटावे के मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	२०
मिलों द्वारा पूर्वी जिलों के मजदूरों का वेतन रोकने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) .	२०
पटवारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	२०–२१
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंश का सदन के समक्ष पाठ	२१–२२
उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२२
उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२२
उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिकवीजीशन (कंटीनुयन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२२
वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (उपस्थित किये गये)	२२
२१ फरवरी, १९५३ को नियमित समय तक तथा २० फ़रवरी और २४ मार्च, १९५३ को ५ बजे के बाद तक भी बैठक करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	२२–२५
असरकारी कार्य के लिए नियत दिनों को भी सरकारी कार्य करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	२५–२७
नत्थियां	२८–३०

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	३१–३४
प्रश्नोत्तर	३५–४१
अध्यापकों द्वारा अनशन तथा हड़ताल करने के निश्चय के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	४१
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता का प्रस्ताव (वादविवाद जारी)	४१–८८
नत्थियां	८९–९३

बुधवार, १८ फरवरी, १९५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सची	९५-९८
प्रश्नोत्तर	९९-१०२
मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१०२-१०३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता का प्रस्ताव स्वीकृत ..	१०३-१५४

बृहस्पतिवार, १९ फरवरी, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	१५५-१५८
प्रश्नोत्तर	१५९-१७५
श्री झारखंडे राय द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)...	१६५
यू० पी० मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ तथा मोटर विहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रस्तावित संशोधनों का मेज पर रखा जाना ..	१६६
वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (समाप्त)	१६६-२१३
विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा ..	२१३
याचिका समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा	२१३
अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा	२१४
नत्थियां	२१५-२२५

शुक्रवार, २० फरवरी, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची...	२२७-२३०
प्रश्नोत्तर	२३१-२३७
वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के विशेष द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर ही विवाद करने का सुझाव (स्वीकृत)	२३७-२३८
वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी (स्वीकृत) ..	२३८-२४९
अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी (स्वीकृत) ..	२४९
अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन (स्वीकृत) ...	२४९-२५५
अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (स्वीकृत)	२५५
अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) (स्वीकृत) ..	२५५-२५६
अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई और विद्युत् स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	२५६-२५९
अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक २५--कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (स्वीकृत)	२५९-२६७

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां (स्वीकृत) ..	२६७—२७२
अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा (स्वीकृत)	२७२—२८१
अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा (स्वीकृत) ..	२८१—२८५
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	२८५
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज (स्वीकृत)	२८५
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेश (स्वीकृत)	२८५—२८६
अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा (स्वीकृत) ..	२८६
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत् योजनाओं पर व्यय (स्वीकृत)	२८६
अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१ और ८१—क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	२८६
अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग (स्वीकृत) ..	२८६—२८८
अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—श्रम और संस्था (स्वीकृत) ..	२८८
अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—वाहन विभाग (स्वीकृत) ..	२८८
अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	२८८
अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्य-स्थापना पर व्यय और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	२८८
अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	२८९
अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक और राजनैतिक पेन्शनें तथा ख—भारतीय राजाओं के निजी खर्चे तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	२८९
अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५६—लेखन—सामग्री और छपाई (स्वीकृत)	२८९
अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय (स्वीकृत) ..	२८९
अनदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	२८९
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना तथा विकास संबंधी व्यय और ६३—ख—सामूहिक योजनायें (स्वीकृत) ..	२९०
अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक ६८— सिंचाई, नवचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का सम्पादन (स्वीकृत) ..	२९०
अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	२९०
अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	२९०
अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत)	२९०
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक—द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अंशऋण (स्वीकृत)	२९०

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ का द्वितीय पूरक) विधेयक (पारित)	२९१-२९६
उत्तर प्रदेश हज समिति के लिये एक प्रतिनिधि के निर्वाचन संबंधी कार्य-क्रम की घोषणा	२९६
नत्थी	२९७-२९८
शनिवार, २१ फ़रवरी, १९५३	
उपस्थित सदस्यों की सूची	२९९-३०२
श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३०२
वित्तीय-वर्ष १९५३-५४ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया) ..	३०२-३२२

संसद भवन

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्रि परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारिता मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस–सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी०ए०, एल–एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार–ऐट–ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक–कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री।

उपमंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी०एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभासचिव

मुख्य मन्त्री के सभासचिव

श्री कृपाशंकर, एम० ए० ए०।

अन्न मन्त्री के सभासचिव

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२—श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभासचिव

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल–मन्त्री के सभासचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० ए० ए०।

शिक्षा–मन्त्री के सभासचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस–सी० (बिस), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

प्रमाणित प्रति

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री ... बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री ... गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री ... मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री ... रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज़ खां, श्री ... खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री ... फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री ... मिर्ज़ापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री ... उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद ... लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री ... फ़तेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री ... बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ़ अली खां, श्री ... सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री ... झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री ... नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती ... फूलपुर (दक्षिण)
१८—इतिज़ा हुसैन, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसराउल हक़, श्री ... फीरोज़ाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफ़ा हुसैन, श्री ... गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री ... सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री ... चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
२४—उम्मेद सिंह, श्री ... उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फ़त सिंह चौहान 'निर्भय', श्री ... ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री ... शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री ... दातागंज (उत्तर)—बदायूं
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री ... चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री ... सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिज़वी, श्री ... मोहम्मदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री ... गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री ... निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री ... हज़ूर मिलक (उत्तर)
३५—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री ... चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री ... लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री ... कन्नौज (उत्तर)
३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री ... कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री ... हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री ... खुर्जा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री ... सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री ... हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री ... सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री ... ललितपुर (दक्षिण)

४५—कृष्णशरण आर्य, श्री	..	सिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४६—केदारनाथ, श्री	...	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—केवल सिंह, श्री	...	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—केशभान राय, श्री	...	बांसगांव (मध्य)
४९—केशव गुप्त, श्री	...	कैराना (उत्तर)
५०—केशव पाण्डेय, श्री	...	गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
५१—केशवराम, श्री	...	सहसवान (पूर्व)
५२—कैलाशप्रकाश, श्री	...	मेरठ नगरपालिका
५३—खयालीराम, श्री	...	अमरोहा (पूर्व)
५४—खुशीराम, श्री	...	पिथौरागढ़—चम्पावत
५५—खूबसिंह, श्री	...	धामपुर (उत्तर–पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५६—गंगाधर, श्री	...	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
५७—गंगाधर जाटव, श्री	...	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५८—गंगाधर शर्मा, श्री	...	मिश्रिख
५९—गंगाप्रसाद, श्री	...	तरबगंज (दक्षिण–पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६०—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	...	रसरा (पश्चिम)
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री	...	विधूना (पूर्व)
६२—गज्जूराम, श्री	...	मऊ–मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री	...	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	...	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री	...	पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारीलाल, श्री	...	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६८—गुप्तार सिंह, श्री	...	डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम)
६९—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	...	मुसाफ़िरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७१—गुलजार, श्री	...	मुसाफ़िरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री	...	पडरौना (पूर्व)
७३—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	...	इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री	...	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	...	बरेली नगरपालिका
७६—गौरीराम, श्री	...	फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	...	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही—घाट
७८—घासीराम जाटव, श्री	...	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	...	उरई—जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री	...	डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री	...	तराबगंज (दक्षिण–पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
८३—चन्द्रवती, श्रीमती	...	बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री	...	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री	...	हरदोई (पूर्व)
८६—चरण सिंह, श्री	...	बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तरसिंह निरंजन, श्री	...	कोंच।

८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री ... जलेसर-एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री .. छिब्रामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री ... बिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री ... नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीशप्रसाद, श्री ... हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री ... सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री ... खैरागढ़
९७—जगन्नाथप्रसाद, श्री ... निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री ... रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री .. पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री ... बलिया (उत्तर-पूर्व)—बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री ... मऊ-करवी—बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री ... लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री ... पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री ... रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री ... खेत-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहर लाल, श्री ... करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ... कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री ... मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री .. महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री ... गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री ... घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री ... संडीला—बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री ... मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री ... कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री ... बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री ... औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री ... मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री ... मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री .. लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजा सिंह, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री .. घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री .. मऊ-करवी—बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री .. सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री .. मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री .. नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री .. अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री .. जौनपुर (पश्चिम)

१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	...	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	...	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा श्री,	...	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्तिराम, श्री	...	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	...	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री	...	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	फरैंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	...	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्मसिंह, श्री	...	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	...	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थूसिंह, श्री	...	आज़मगढ़ (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	...	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	...	पश्चिमीय दून—दक्षिण-पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	...	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	...	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	...	आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	...	मछली शहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	...	मुज़फ्फरनगर (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री	...	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायणदास, श्री	...	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	...	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	...	पीलीभीत (पूर्व)—बीजनौर (पश्चिम)
१५८—नेकराम शर्मा, श्री	...	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री	...	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
	...	नवाबगंज
१६०—नौरंगलाल, श्री	...	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री	...	सोरांव (दक्षिण)
१६२—परमानन्द सिन्हा, श्री	...	केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरीराम, श्री	...	महाराजगंज (उत्तर)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	...	बांदा
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	...	छिबरामऊ (पूर्व)—फ़र्रुखाबाद (पूर्व)
१६६—पातीराम, श्री	..	एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री	...	बांसी (उत्तर)
१६८—पुद्दनराम, श्री	...	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६९—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री	...	हापुड़ (उत्तर)
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	...	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री	...	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री	...	बस्ती (पश्चिम)
१७३—प्रभूदयाल, श्री	...	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	...	रामपुर नगर
१७५—फजलुल हक़, श्री	...	जलेसर—एटा (उत्तर)
१७६—फतेह सिंह, श्री		

१७७—फ़तेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७८—फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८०—बनारसीदास, श्री ... बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८३—बलवीर सिंह, श्री ... गाज़ियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह, श्री ... मुज़फ़्फ़रनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री ... कालपी—जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल हुमेश, श्री ... रामसनेहीघाट
१९२—बाबूलाल मोतल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९४—बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९५—बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनी सिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
१९९—बैजूराम, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०६—भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०७—भीमसेन, श्री ... खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११—भोला सिंह यादव, श्री ... गाज़ीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मक़सूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा-करछना (दक्षिण)
२१४—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१५—मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फैज़ाबाद (पूर्व)
२१७—मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री ... कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री ... सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)

२२२—महाजन, श्री सी० बी०	...	आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेवप्रसाद, श्री	...	गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री	...	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	...	हंडिया (दक्षिण)
२२६—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	...	मोहनलालगंज
२२७—महीलाल, श्री	...	बिल्हारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	...	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री	...	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	...	विधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
२३१—मुज़फ़्फ़र हसन, श्री	...	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	...	पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	...	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	...	बिल्हौर—अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़ अली खां, श्री	...	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	...	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री	...	बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	...	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	...	नगीना (दक्षिण–पश्चिम)—धामपुर (उत्तर–पूर्व)
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	...	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	...	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	...	टांडा
२४३—मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री	...	देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४४—मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री	...	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	...	मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री	...	उतरौला (मध्य)
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	...	डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री	...	सफ़ीपुर—उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	...	खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२५१—मोहनसिंह, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	...	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	...	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	...	गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	...	बांसगांव (दक्षिण–पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	...	मेजा—करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	...	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	...	बागपत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	...	अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	...	नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	...	महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	...	मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	...	किराउली
२६४—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा	...	उतरौला (दक्षिण–पश्चिम)

२६५—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६७—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री ... बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण–पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण–पूर्व)

२७१—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)
२७३—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री ... खजीनाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्रदत्त, श्री ... मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिजनौर (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२७८—रामअधार तिवारी, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)

२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८०—रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८१—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)

२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री ... बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८६—रामचन्द्र 'विकल', श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२८८—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण–पश्चिम)—हाटा (दक्षिण–पश्चिम)

२९०—रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री ... कुण्डा (दक्षिण)
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री ... रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री ... खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री ... लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री ... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
३०२—रामरतनप्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री ... चकिया—चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)

३०६—रामलाल, श्री	...	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामवचन यादव, श्री	...	फूलपुर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	...	रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	...	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	...	बबेरी (पश्चिम)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	...	गरोधा मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री	...	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	...	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	...	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	...	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	...	दूधी—राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	...	भोगनीपुर (पश्चिम)—इटावा (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	...	कुण्डा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	...	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	...	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	...	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	...	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	...	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव क़दम, श्री	...	मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	...	संडीला—बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	...	माट—सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	...	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफ़त हुसैन, श्री	...	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट—जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	...	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	...	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ अली ख़ां, श्री	...	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	...	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	...	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	...	करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	...	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	...	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८—वसी नक़वी, श्री	...	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३३९—वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री	...	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०—विचित्रनारायण शर्मा, श्री	...	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—विजयशंकर प्रसाद, श्री	...	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती	...	एटा (पूर्व)—अलीगढ़ (पश्चिम)—कासगंज (दक्षिण)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	...	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	...	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	...	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	...	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री	...	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	...	मैनपुरी (दक्षिण)

३४९—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी—जालौन (उत्तर)
३५२—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी राबर्ट्सगंज
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर—अकबरपुर
३५४—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५५—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३५६—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३५९—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री ... चकराता—पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू—मंझनपुर
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—शिवराजबली सिंह, श्री ... खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७४—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलीहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८१—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८३—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३८८—सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती ... कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह, श्री ... सोराम (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३९०—सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती ... गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायणदत्त, श्री ... औरय्या—भरथना (दक्षिण)

३९३—सत्यसिंह राणा, श्री	...	देवप्रयाग
३९४—सत्यानन्द, श्री	...	सगरी (पूर्व)
३९५—सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	...	बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	...	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सावित्रीदेवी, श्रीमती	...	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	...	फ़र्रुखाबाद (मध्य)—क़ायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	...	कैसरगंज (मध्य)
४००—सीताराम, डाक्टर	...	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	...	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	...	सिराथू—मंझनपुर
४०३—सुन्दरलाल, श्री	...	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
४०४—सुरुजराम, श्री	...	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०५—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	...	हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४०६—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	...	बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४०७—सुल्तान आलम खां, श्री	...	क़ायमगंज (पश्चिम)
४०८—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	...	कानपुर नगर (उत्तर)
४०९—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री	...	हाटा (मध्य)
४१०—सेवाराम, श्री	...	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४११—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	...	सफ़ीपुर—उन्नाव (उत्तर)
४१२—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	...	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१३—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	...	शाहजहांपुर (मध्य)
४१४—हमीद खां, श्री	...	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१५—हरखलाल सिंह, श्री	...	बागपत (पूर्व)
४१६—हरगोविन्द पन्त, श्री	...	रानीखेत (दक्षिण)
४१७—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१८—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	...	हाथरस
४१९—हरदेव सिंह, श्री	...	देवबन्द
४२०—हरसहाय गुप्त, श्री	...	बिलारी
४२१—हरिप्रसाद, श्री	..	बिलसपुर (मध्य)
४२२—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२३—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२४—हरिसिंह, श्री	...	हापुड़ (उत्तर)
४२५—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री	...	करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
४२६—होतीलालदास, श्री	...	एटा (दक्षिण)
४२७—[रिक्त]	..	बदायूं (उत्तर)
४२८—[रिक्त]	..	कैसरगंज (उत्तर)
४२९—[रिक्त]	...	देवरिया (दक्षिण)
४३०—[रिक्त]	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
४३१—[रिक्त]	..	कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल० एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मिश्रथल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।
श्री भोलादत्त उपाध्याय ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

विधान सभा

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७२१७२

सोमवार, १६ फ़रवरी, १९५३

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मण्डल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजकर १५ मिनट पर सभा मण्डप, लखनऊ में पधारे।

विधान सभा के निम्नलिखित ३३७ सदस्य उपस्थित थे—

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री

जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल,श्री (बाराबंकी)

उत्तर प्रदेश

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसुन्दर पांण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द,डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मण्डल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया—

विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण,

मुझे राज्य के विधान मण्डल के दोनों सदनों को प्रथम बार सम्बोधन करने में गौरव है। गत मई के उद्घाटन सत्र से लेकर आज तक आप सब ने विधान कर्त्ता के रूप में अथक उत्साह तथा कर्त्तव्य परायणता से कार्य किया है। कार्य के अनवरत भार ने आप को विचलित नहीं किया और उससे आप के कार्य के आकार और प्रकार में भी कोई ह्रास नहीं हुआ है।

२—विभाजन के परिणाम स्वरूप बहुत सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं जिनके कारण पर्याप्त विधानीय तथा प्रशासकीय पटुता की आवश्यकता थी। इस अवसर पर मैं अपने पद के पूर्वाधिकारियों, स्वर्गीया श्रीमती सरोजनी नायडू, तथा श्री एच० पी० मोदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे मुख्य मन्त्री तथा उनके सहकारियों के नेतृत्व में विगत विधान मण्डल सहित सभी विषयों को बड़े ही प्रभाव पूर्ण ढंग से सम्पादित किया है तथा इस राज्य को सफलता पूर्वक कठिनाई से उबारा है। फिर भी कल्याणकारी राज्य की नींव रखना तो आप लोगों का ही, जो संविधान के अन्तर्गत पहली बार विधान मण्डल के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, कर्त्तव्य है। अल्पकाल ही में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा अन्य प्रमुख विधानों के पारण से यह प्रकट होता है कि नींव सत्यमेव बहुत ही दृढ़ हो गयी है तथा उत्तर प्रदेश की जनता का अपने प्रतिनिधियों के निमित्त गर्व उचित ही है। मुझे इस राज्य के साथ अपने सम्पर्क का गौरव भी है तथा विश्वास है कि यह राज्य भारत संघ में लोकतंत्र के सच्चे आदर्श की पूर्ति करने के, जिसमें कि जनता भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार से मुक्त रह कर जीवनयापन कर सके, महान् प्रयास में अपना उच्च स्थान बनाये रखेगा।

३—पिछला वर्ष पंच वर्षीय योजना के प्रकाशन के कारण, जिससे कि आप लोग अब परिचित हो गये होंगे, महत्व का वर्ष रहा है। जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने बताया है "इस योजना में संविधान द्वारा नियत आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति को आवश्यकताओं तथा साधनों के अवधारण पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूर्तरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है"। इस राज्य ने एक अपनी पंच वर्षीय योजना तैयार की है और हम सब लोगों का यह कर्त्तव्य है कि यह योजना कार्यान्वित हो। अतएव मैं अपनी पूर्ण शक्ति से इस बात पर बल देते हुए आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप लोग अपने सामने इस प्रयोजन को सर्वोच्च रखें तथा इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करें। योजना से सम्बद्ध प्रत्येक कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की आवश्यकता होगी तथा इस प्रयोजन के लिए आपका योगदान बड़े ही महत्व का होगा।

४—हमारा देश कृषि प्रधान है अतएव हमारी जनता की समृद्धि भूमि के उत्पादन से अधिकतर सम्बद्ध है। राज्य के विस्तृत असिंचित क्षेत्रों में विलम्ब से तथा विषम वर्षा होने के कारण सारी आर्थिक स्थिति ही बहुधा उलट जाती है और हमको अपनी सारी शक्ति अकाल को रोकने में तथा पीड़ित जनता का उद्धार करने में लगा देनी पड़ती है। अभाग्यवश गत वर्षाकाल बड़ा ही अव्यवस्थित तथा असन्तोषप्रद रहा, जिसके कारण जुलाई के अन्त तक पूर्वी जिलों में बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। मिताहार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण की मांग अकस्मात् सामान्य से ६ गुना अधिक हो गयी। इससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं, किन्तु सरकार ने उचित समय पर खाद्यान्न वहां भेज कर वितरण की अव्यवस्था रोक दी।

[श्री राज्यपाल का अभिभाषण]

५—राज्य के पुरातन अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्थायी सहायता की महती आवश्यकता है तथा एतदर्थ कृषकों को ऋतुओं की उच्छृंखलता से बचाने के लिए छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की सिंचाई योजनाओं को सर्वप्रथमता दी गयी है। नल-कूप जल सिंचन के उत्तम साधन हैं, इसलिये नल-कूप योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने की कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही सर्वाधिक संख्या में राजकीय नल-कूप हैं तथा ९९५ और नल-कूपों के प्रतिष्ठान से, जिनसे कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा अन्य अभावग्रस्त जिलों में सिंचाई हो सकेगी, अन्न का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ जाने की आशा की जाती है। सरकार आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर जिलों में २०० और नल कूपों का निर्माण करवा रही है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गत वर्ष के अवसान तक ३ प्रमुख सिंचाई की योजनायें अर्थात् ललितपुर, सपरार तथा कबरई बांध तैयार हो चुके थे और यह अनुमान लगाया गया है कि इनसे १,०५,००० अतिरिक्त एकड़ की सिंचाई हो सकेगी और इस प्रकार बुन्देलखण्ड के कृषकों की सिंचाई सम्बन्धी एक पुरानी आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी। कृषकों को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाएं देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि गंगा की नहर, यमुना की पूर्वी नहर तथा शारदा नहर को चौड़ा करके नया रूप प्रदान किया जाय।

६—भूमि सुधार योजनाओं पर, जिनमें भूमि उद्धार की योजनायें भी सम्मिलित हैं, हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इस प्रकार अन्न की पूर्ति के अतिरिक्त इनके द्वारा उन हजारों विस्थापित कृषकों को, जिन्हें बाध्य होकर हमारे बीच शरण लेनी पड़ी थी, पुनर्वासन का अवसर प्रदान करके दोहरा प्रयोजन सिद्ध हुआ है। पहाड़ों के किनारों पर बंजर भूमि में तथा गंगा खादर के विस्तृत क्षेत्रों में उपनिवेशीकरण की योजनाओं का सूत्रपात किया गया था। सरकार ने मेरठ के गंगा खादर के क्षेत्र में गंगातट (Ganga Cliff) को, जो उस क्षेत्र में कृषि के विस्तार तथा वृक्षों के अंधाधुंध काटे जाने के कारण ढह जाने वाला था, ढहने से बचाने के लिए बन लगाने की योजना चालू कर दी है। इस योजना में ८,००० एकड़ भूमि पर बन लगाने का विचार किया गया है, इसमें से आधी भूमि पर वनरोपण हो चुका है। नैनीताल के तराई क्षेत्र में १६,५०० एकड़ का एक केन्द्रीय राज्य कृषि क्षेत्र (Central State Farm) स्थापित करके भारत संघ का सब से बड़ा कृषि उद्यम चालू किया गया है, जिसमें से लगभग तिहाई भाग अच्छा चारा तथा डेरी सम्बन्धी कृषि कार्यों के लिए, पृथक् कर दिया गया है। एक हजार एकड़ में बाग़ लगा दिया गया है, जिसमें उक्त क्षेत्र में उपजने वाले सब प्रकार के फल होते हैं।

७—उर्वरक (fertilisers), खादें, सुधरे हुए बीज तथा उपकरण, हमारी 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन आवश्यक वस्तुओं को अधिक से अधिक उपलब्ध करना तथा उनके वितरण के प्रबन्ध करने का सरकार ने सतत प्रयास किया है। अल्पकालीन ऋणों की योजना चालू की गयी है और नये प्रकार के बीजों तथा नयी उर्वरक खादों (fertilisers) को जनप्रिय बनाने के लिए हमने तकावी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की है। सरकार का अभिप्राय है कि आगामी तीन वर्षों में सारा राज्य अत्युत्तम वर्ग के बीजों से परिपूर्ण हो जाय और मुझे यह कहने में हर्ष है कि इस दिशा में गत वर्ष पर्याप्त प्रगति हुई है। फ़सल-प्रतियोगिता द्वारा कृषकों में उपयोगी होड़ की भावना प्रवृत्त करने का सफल प्रयास किया गया है जिससे उन्हें प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है। ऐसी प्रतियोगितायें जनप्रिय होती जा रही हैं और उनके परिणाम बड़े सुन्दर हुए हैं।

८—किसी भी सुसंगठित कृषि सम्बन्धी अर्थ योजना में स्वस्थ तथा उत्पादक पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। अतएव सरकार ने पशुधन सुधार की एक सामंजस्यपूर्ण योजना चालू की है, जिसकी कुछ विशेषतायें ये हैं कि पशु वर्ग को संक्रामक रोगों से विमुक्ति दी जाय, रोग संक्रमण के कारणों की खोज की जाय तथा उनका नियंत्रण किया जाय, वैज्ञानिक प्रजनन विधियों को चालू किया जाय तथा पशुओं को पौष्टिक तत्त्व प्रदान करने के ढंगों का विकास किया जाय। योजना में विशेष स्थलों पर क्वारेन्टाइन की स्थापना की व्यवस्था की गयी है।

उक्त स्थलों पर प्रत्येक आने वाले पशु को सुई इस अभिप्राय से दी जायगी कि आने वाले पशु निश्चित रूप से सुरक्षित रहें और उन क्षेत्रों में जहां से होकर वे आवें, संक्रामक रोग न बढ़े। सरकार ने पशुधन, गौ और उसकी सन्तति की सुरक्षा और विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए डाक्टर सीताराम एम० ए०, एल० एल० बी, डी० लिट० के सभापतित्व में एक प्रतिनिधित्व पूर्ण कमेटी भी नियुक्त की है।

९—राष्ट्रपिता के जन्म दिवस अर्थात् २ अक्तूबर, १९५२ को सामूहिक विकास योजनाओं का श्रीगणेश एक हाल की ही महत्वपूर्ण घटना है। भारत भर में आरब्ध ५५ ऐसी योजनाओं में से ६ इस राज्य को प्रदिष्ट की गयी है। इन योजनाओं का क्षेत्र ९ जिलों में है तथा कृषि-कौशल, पशु-उन्नयन, महामारी—रोग नियंत्रण, स्वच्छता, सामाजिक शिक्षा तथा मार्गों, पाठशालाओं, नालियों, सहकारी भट्ठों तथा सिंचाई की योजनाओं के निर्माण का सामूहिक कार्य विशेषतः वर्णनीय है। मानव-शक्ति प्रचलन योजना, जिसके द्वारा स्वावलम्बन के श्रोतों का विस्तृत क्षेत्र संभाला गया है, बहुत ही उत्साहजनक रही है। आज कल २१८ मानव-शक्ति सम्बन्धी शिविर हैं जहां जनता और उसके सेवक छोटी योजनाओं के निर्माण तथा मरम्मत का काम सहयोग की भावना से प्रेरित होकर कर रहे हैं।

१०—सरकार ने भारत गणतंत्र की तृतीय वर्ष-तिथि को अब की बार सार्वजनिक हित के रचनात्मक कार्यों के लिए स्थापित मानव-शक्ति के प्रचलन के संगठित प्रयास द्वारा मनाने का निर्णय किया था। उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के व्यक्तियों ने श्रम दान कार्यक्रम में भाग लिया जो २६ जनवरी से ३० जनवरी तक चलता रहा और जिसमें भाग लेने वाले सरकारी और ग़ैर सरकारी व्यक्ति सम्मिलित थे। इस योजना को पूर्ण सफलता मिली और स्पष्ट रूप से उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो गया। इससे लोगों में स्वाभाविक उत्साह उत्पन्न हुआ और विशेषतः नयी सड़कों तथा छोटे-छोटे सिंचाई के कार्यों के रूप में उल्लेखनीय फल प्राप्त हुआ। फिर भी यह आवश्यक है कि इस दिशा में अनवरत प्रगति की जाय जिससे सार्वजनिक उत्साह तथा शक्ति पूर्णरूपेण कार्यशील हो सके और इस प्रकार सभी वर्गों के व्यक्ति कल्याणकारी राज्य की त्वरित प्राप्ति के लिए संघटित तथा योजित ढंग से कार्य कर सकें।

११—किसी भी ग्राम सुधार कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योगों का केन्द्रीय स्थान होना चाहिए। सरकार ने कुटीर उद्योगों की उन्नति पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है। प्रारम्भ में हमारा ध्यान स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण की ओर आकृष्ट हुआ है और बुनाई, कम्बल बनाने, टोकरी बनाने, चमड़ा कमाने, रंगने, छापने, चमड़े के काम, लकड़ी के काम, खिलौना बनाने, तथा कुम्हार-कार्य के १५० शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र इस राज्य में चल रहे हैं। कुटीर उद्योगों के उत्थान से सम्बद्ध विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिए यू० पी० स्माल स्केल ऐन्ड काटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (उत्तर प्रदेश लघु तथा कुटीर उद्योग मण्डल) स्थापित किया गया है।

१२—दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें सरकार ने अपने कार्य केन्द्रीभूत कर रखे हैं विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वासन है। यह प्रसन्नता की बात है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कार्य किया गया है। आरम्भ के शिविरों का स्थान उपनिवेशों तथा क़स्बों ने, और खेमों, धर्मशालाओं तथा अन्य अस्थायी आवासों का स्थान एक तथा दो कमरे वाले भवनों ने ग्रहण कर लिया है। अकिंचन तथा असहाय स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए रेजिडेन्शियल इन्डस्ट्रियल होम, चुनार तथा बापू वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीटचूट, देहरा दून, में व्यवस्था कर दी गयी है। हमने जूट की खेती करने वाले पूर्वी बंगाल के ५०० विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित किया है तथा निकट भविष्य में हमने ५०० और परिवारों को पुनर्वासित करने का भार ले लिया है। शुल्क-मुक्ति, धन-अनुदान, अथवा छात्रवृत्तियों द्वारा २६,००० छात्रों की सहायता की गयी है। असमर्थ विस्थापित व्यक्तियों, विधवाओं, उन अनाथ बच्चों को, जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है, और जो पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति छोड़ आये हैं, अब भी भरण पोषण का भत्ता प्रदान किया जा रहा है। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि उन्हें वह प्रतिकर न प्रदान कर दिया जाय जो इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है।

[श्री राज्यपाल का अभिभाषण]

१३—मालिकों और श्रमिकों के बीच मेलजोल का सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उनके फलस्वरूप इस राज्य की श्रमस्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है। इस वर्ष मुख्य बात यह हुई कि श्रमिकों और उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए मालिकों, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिदली वार्तायें हुईं। कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के हित के लिए कर्मचारी—राज्य-बीमा—योजना (इम्पलाईज़ स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम) और अनिवार्य भविष्य-निधि-योजना (कम्पल्सरी प्राविडेंट फ़न्ड स्कीम) चालू की गयी है। १२ जिलों में सरकार ने कृषि-श्रमिकों के लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अधीन मज़दूरी की न्यूनतम दरें भी निर्धारित कर दी हैं। चीनी के कारखानों के श्रमिकों के लिए रहने के मकानों की योजना में काफ़ी प्रगति हो रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष की समाप्ति के पहले कानपुर में अन्य वर्गों के श्रमिकों के लिए बहुत से मकान बन जायंगे। कल्याणकारी कार्यों का क्रमशः विस्तार होता गया है और श्रेष्ठतर कार्य की परिस्थितियों को सम्पन्न करने के लिए फ़ैक्टरी इन्स्पेक्टरों के पदों के साथ दो चिकित्सकीय निरीक्षकों के पद भी बढ़ा दिये गये हैं।

१४—१ सितम्बर, १९५२ ई० को इस राज्य में एक विशेष मलेरिया निरोधक आन्दोलन चलाया गया। सामान्य प्रशासन-व्यवस्था तथा पर्याप्त सामग्री का प्रबन्ध करने के विचार से विभिन्न विभागों के साधनों का एकीकरण कर लेने के पश्चात् ही यह कार्य आरम्भ किया गया था। २४ जिलों के ऐसे क्षेत्र, जिनमें इस बीमारी का विशेष रूप से अधिक प्रकोप होता है, इस योजना में सम्मिलित किये गये हैं। इस योजना के अनुसार चुने हुए कुछ खास-खास क्षेत्रों का पूर्ण पर्यावलोकन (सर्वे) किया जायगा और उनमें प्रगाढ़ रूप से डी० डी० टी० छिड़कने का काम किया जायगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्ताओं, पंचायतों के सचिवों और स्कूलों के अध्यापकों को मलेरिया-निरोधक कार्यों की प्रशिक्षा दी जा रही है और वे अपने-अपने क्षेत्रों में टोली-नायक के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का उद्देश्य लोगों में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना भी है, जो स्वेच्छा से श्रमदान करेंगे। सहकारी संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सहायता ली गयी है और ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इसके फलस्वरूप लोग मलेरिया के प्रकोप से मुक्त होकर और भी अधिक स्वस्थ बनेंगे।

१५—सरकार शिक्षा की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने के प्रश्न पर समुचित ध्यान दे रही है। विद्या सम्बन्धी तथा उदार शिक्षा में निस्सन्देह अच्छाइयां हैं। काव्य, सौन्दर्यकलाएं, कला तथा साहित्य से मानव-जीवन सम्पन्न बनता है और वास्तविक सुख और उच्च कोटि के आनन्द की प्राप्ति होती है। किन्तु हमारे सीनियर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की विशाल संख्या के लिए सावधानी के साथ योजना बनाना आवश्यक होगा, जिससे कि उनसे अत्यधिक संख्या में ऐसे निराश युवक तथा महिलायें न निकलें जो अपने प्रशिक्षण तथा शिक्षा के अनुकूल नौकरी पाने में असमर्थ हों। शिल्पी, व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा को एक सूत्र में बांधने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है, जिससे उन्हें एक ऐसा रूप दिया जा सके, जिसमें इन सब में परस्पर सामन्जस्य स्थापित हो और जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित हो। अतएव हमारी शिक्षा-पद्धति में कृषि को एक सम्मान का स्थान प्राप्त होगा, किन्तु केवल एकांगी दृष्टिकोण से काम न चलेगा। एक निर्दिष्ट अवधि तक किसी न किसी रूप में सामाजिक कार्य सभी अवस्थाओं में शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। इससे विद्यार्थियों में स्वयं कार्य करने की शक्ति, उपायकुशलता तथा आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होगी। इससे ग्रामीण जनता के साथ निकटतर सम्बन्ध स्थापित होगा जिसके फलस्वरूप देश के भावी नेताओं को गांवों की समस्याओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा।

१६—नियंत्रणों का धीरे-धीरे हटाया जाना भी मेरी सरकार की प्रमुख सफलताओं में से एक है। पहले इस बात का पक्का प्रबन्ध कर लेने पर कि राशन के क्षेत्रों की मांगों को पूरा

करने के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक सुरक्षित है, सरकार ने पहली जुलाई, १९५२ ई० को एक नयी खाद्य-नियंत्रण नीति अपनायी। गुड़, चीनी, खंडसारी, तेलहन, मिट्टी के तेल इत्यादि जैसी अनेक आवश्यक वस्तुओं का भाव गिरने के कारण भी इस नीति को अपनाना संभव हुआ। यह नीति आंशिक विनियंत्रण की नीति है जिसके अनुसार राज्य के उन नगरों में, जिनमें पूर्ण राशनिंग व्यवस्था लागू की गयी थी, आंशिक राशनिंग व्यवस्था लागू की गयी। सभी खाद्यान्नों की वसूली रोक दी गयी और भावों पर लगाये गये प्रतिबन्ध और उनके साथ साथ राज्य के भीतर खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर लगे हुए प्रतिबन्ध भी हटा लिये गये। इस उद्देश्य से कि चोरबाजारी न हो और भाव तेज न किये जा सकें, उन नगरों में सरकारी दुकानों से खाद्यान्नों को बेचने की प्रणाली जारी रक्खी गयी जिनमें पहिले पूर्ण राशनिंग की व्यवस्था थी। विनियंत्रण की दिशा में दूसरा कार्य यह किया गया कि १६ नवम्बर, १९५२ ई० से सरकारी दुकानों से चावल तथा मोटे खाद्यान्नों का दिया जाना बन्द कर दिया गया। किन्तु खाद्य-सम्बन्धी राज्य-सहायता राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक भारी बोझ सिद्ध हो रही थी। अतएव, सरकार को विवश होकर सरकारी दुकानों में बिकने वाले गेहूं का भाव बढ़ा कर २–१/२ सेर से २–१/४ सेर प्रति रुपया कर देना पड़ा। भविष्य के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राज्य के कुछ भागों में ओला गिर जाने के कारण कुछ नुक़सान हुआ है और उन क्षेत्रों को आवश्यक सहायता देने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गयी है। किन्तु सकारण यह आशा की जाती है कि अगली रबी की फ़सल सन्तोषजनक होगी। यदि यह आशा पूर्ण हुई तो राज्य में खाद्य स्थिति काफ़ी सुधर जायगी।

१७—आन्तरिक सुरक्षा तथा क़ानून और व्यवस्था को बनाये रखना लोकतंत्रात्मक राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अपराधों की रोक थाम में सर्वतोमुखी सुधार हुआ है, यद्यपि कुछ स्थानों में डकैती-सम्बन्धी स्थिति चिन्ता-जनक बनी रही। इस सम्बन्ध में एक उत्साहवर्द्धक बात यह है कि डकैती की समस्या का सामना करने में जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत से मामलों में स्वयं गांव वालों ने ही डाकुओं का सामना किया है और वे डाकुओं को गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। चरना, लखन सिंह और मान सिंह के गिरोहों ने आगरा जिले के बाह तहसील में फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। मध्य भारत और राजस्थान की सरकारों के सहयोग से इन गिरोहों का सफ़ाया करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाहियां किये जाने की योजना तैयार की गयी है।

क़ैदियों के प्रति व्यवहार के मामले में सुधार होते आ रहे हैं। हाल ही में चन्द्रप्रभा नदी पर बांधे जाने वाले बांध के पास एक खुले शिविर की स्थापना की गयी जिसके साथ हमारे गृह मन्त्री का नाम जुड़ा हुआ है। उस शिविर में क़ैदियों को स्वतन्त्रतापूर्वक रहने, एक दूसरे से मिलने-जुलने और बांध का निर्माण करके स्वतंत्र श्रमिकों की तरह मजदूरी कमाने की आज्ञा है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे महत्वपूर्ण परिणाम निकलने की संभावना है। क़ैदियों के पुनर्वासन की अन्य योजनाएं भी हमारी सरकार के विचाराधीन हैं।

१८—कोई भी सरकार क्यों न हो, उसके लिए एक शुद्ध और कार्यकुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसी दृष्टि से एक आनुशासिक कार्यवाही तथा जांच-समिति मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी जिसको सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाहियां करने के लिए एक निश्चित, स्पष्ट और तात्कालिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना है। इस समिति ने हाल ही में आनुशासिक कार्यवाहियां शीघ्रता से निस्तारित करने और सर्विसों (सेवाओं) में कार्य-कुशलता तथा ईमानदारी लाने के सम्बन्ध में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं। उक्त जांच-समिति ने एक ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया है जिससे देरी भी न होगी और सरकारी कर्मचारी अनुशासन के नाम पर अनुचित रूप से दण्डित भी न होने पाएगा। सरकार ने इन सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है जो तुरन्त ही कार्यान्वित की जायंगी।

[श्री राज्यपाल का अभिभाषण]

१९—जमींदारी विनाश के परिणाम स्वरूप अवश्यमेव बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं, किन्तु यह सन्तोष का विषय है कि उन्हें सफलता तथा पटुता से सुलझाया जा रहा है। उदाहरणतया मैं मालगुजारी को वसूल करने के लिए निर्दिष्ट नवीन कार्यप्रणाली को लेता हूं।

राज्य में ही कुछ ऐसे छोटे-छोटे खंड हैं जो कुछ कारणोंवश राज्य के विधान-निर्माण से पूर्ण लाभ नहीं उठा रहे हैं। हाल ही में पारित जौनसार बावर भौगिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ व जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम का कसवार राजा में विस्तार इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार राज्य के सभी भागों को एक समान सामाजिक और आर्थिक स्तर पर लाना चाहती है।

२०—सरकार स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज़) के प्रशासन को कुशलता के साथ तथा युक्तिसंगत आधार पर चलाये जाने के प्रश्न की अच्छी तरह जांच कर रही है। तदनुसार मंत्रिमण्डल-स्तर पर एक समिति नियुक्त की गयी है जो जिला बोर्डों तथा गांव पंचायतों के भावी संगठन के सम्पूर्ण प्रश्न तथा उनके आपस के सम्बन्ध पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यह आवश्यक होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् ऐक्ट तथा गांव पंचायत ऐक्ट का संशोधन किया जाय।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में म्युनिसिपल बोर्डों, टाउन एरियाओं तथा नोटिफ़ाइड एरियाओं के साधारण निर्वाचन किये जायं। राज्य के कुछ प्रमुख नगरों में म्युनिसिपल कारपोरेशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इससे सम्बद्ध आवश्यक योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और यथा समय आपसे नगर निगम विधेयक (म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल) तथा अन्य सहायक विधानों पर विचार करके उन्हें पारित करने को कहा जायगा।

२१—भाषण समाप्त करने के पूर्व यह आवश्यक है कि मैं इस सत्र में आपके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कार्य का कुछ उल्लेख करूं। सन् १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध बजट तखमीने और चालू वित्तीय वर्ष के पूरक तखमीनों को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और उन्हें आप के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। जो विधान प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें से एक महत्वपूर्ण विधान उत्तर प्रदेश चकबन्दी विधेयक, १९५३ है। जमींदारी विनाश के फल-स्वरूप जोतों की चकबन्दी करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है, और पुराने जटिल प्रकार के भौमिक अधिकारों, स्वामिक तथा कृषि-सम्बन्धी दोनों ही, के समाप्त कर दिये जाने से जोतों की सफल चकबन्दी के मार्ग में से सब से बड़ी बाधा दूर हो गयी है। अतएव, इस कार्य को हाथ में लेने का अब उपयुक्त समय आ गया है और इस से जो लाभ होंगे, वे स्वयं ही स्पष्ट हैं। १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक और विविध मामलों से सम्बद्ध कुछ अन्य विधेयक भी आपके सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे।

२२—मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी अपने लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा, आपका विवेक, आपकी दूरदर्शिता तथा कर्त्तव्यपरायणता आप को उन महत्वपूर्ण समस्याओं के हल करने में सफल बनायेगी जो अब आपके सामने हैं। ईश्वर आपको आपके प्रयत्नों में सहायता दे।

जय हिन्द।

(११ बजकर ५० मिनट पर श्री राजपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात विधान मण्डल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक सभा मण्डप में दिन को १२ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम खेर, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पटवारियों के त्याग-पत्र

*१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास उत्तर-प्रदेश के विभिन्न जिलों से पटवारियों के इस्तीफे आये हैं? अगर हां, तो जिलेवार ऐसे इस्तीफों की संख्या कितनी है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—इस्तीफे सरकार के पास नहीं बल्कि जिला अधिकारियों के पास आये हैं। इस्तीफों की संख्या दिनांक १२ फरवरी, १९५३ तक २४,४६५ थी जिनका जिलेवार व्योरा संलग्न सूची में है।

भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने जिलाधीशों को सूचित कर दिया है कि वे जो इस्तीफे दाखिल हों उन्हें स्वीकार कर लें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८–२९ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन २४,४६५ स्थानों की पूर्ति कैसे होगी और इस संक्रामणकाल में उनके काम को कौन संभालेगा?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को यह आदेश दिये गये हैं कि वे पटवारियों का चार्ज कानूनगोओं को दिलवा दें और अगर वे जरूरत समझें तो पंचायतों के सेक्रेटरीज से काम ले लें। इन लोगों की मदद केवल काम करने की रहेगा लेकिन जहां तक उनके स्थानों की पूर्ति का सवाल है यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि कानूनगों और पंचायतों के मंत्री, लैन्ड रिकार्ड मैन्युवल के परिच्छेद ५ में जो पटवारियों के काम दिये हुये हैं उनको पूरा कर लेंगे?

श्री चरण सिंह—जैसा कि मैंने अर्ज किया यह इंटेरियम अरेंजमेंट है लेकिन कितने पटवारियों को रखा जाय, कितनों को न रखा जाय या उनको बिलकुल न रखा जाय या उनके बजाय क्या इंतजाम किया जाय इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का नहीं हुआ है।

*२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृप्या बतलायेगी कि उत्तर-प्रदेश पटवारी एसोसियेशन की मांगों के संबंध में वह क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उत्तर प्रदेश पटवारी एसोसियेशन की मांगें सरकार के विचाराधीन थीं परन्तु इस्तीफे होने के पश्चात उन पर विचार करने का प्रश्न समाप्त हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार पटवारियों के ऐसोसियेशन द्वारा इस्तीफे वापस लिये जाने पर उनकी मांगों पर पुनः विचार करने को तैयार होगी?

श्री चरण सिंह—जिस स्थिति में इन लोगों ने स्तीफे दिये हैं उस स्थिति में उनकी मांगों पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि पिछली जनवरी में पुराने माल मंत्री श्री हुकुम सिंह ने पटवारी ऐसोसियेशन को इस बात का आश्वासन दिया था कि चुनाव से पहिले पटवारी सरकारी कर्मचारी मान लिये जायेंगे?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट की तरफ से अब तक केवल इतना ही आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या जिलाधीशों को कोई इस प्रकार का आदेश दिया गया है कि जो पटवारी अपने इस्तीफे वापिस लेना चाहें वे ले सकते हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, जो पटवारी अपने इस्तीफे वापस लेना चाहें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको ऐडमिट कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि उनको अलाउ कर दिया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या पटवारियों के त्याग-पत्र वापस लेने के प्रश्न पर सरकार और पटवारी एसोसियेशन से बातें चल रही हैं ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, न सरकार कोई बातचीत करने को तैयार है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सरकार के इस फैसले से ग्रामीण जनता में बड़ी प्रसन्नता छायी हुई है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, जो रिपोर्ट सरकार के पास आ रही है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि पटवारियों को २५ रु० तनख्वाह और १२ रु० महंगाई भत्ते में से ही उस मैनुअल के मुताबिक अपनी फैमिली के खर्चे के साथ-साथ सर्वे इंस्ट्रूमेंट खरीदना और अपने काम के लिये स्टेशनरी खरीदना भी लाजिम है ?

श्री चरण सिंह---मैं अपने लायक दोस्त को लैण्ड रेकर्ड मैनुअल देखने का मशविरा दूंगा।

तारांकित प्रश्न

पर्वतीय इलाकों में भूमि का वितरण

*१---**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या के अनुसार खेती करने को भूमि पर्याप्त नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

*२---**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**---क्या सरकार इस समस्या को हल करने का कोई उपाय सोच रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां। इस समस्या को हल करने में कुमायूं नयाबाद ऐक्ट से मदद ली गई है, जिसके जरिये नई जमीन काश्तकारों को दी जाती है ताकि एक तरफ तो काश्त के रकबे में इजाफा हो और दूसरी तरफ जंगल की बेजा कटाई रुक जाये। इसके अतिरिक्त सरकार १२ वर्ग मील जंगल को तराई और भाभर गवर्नमेंट इस्टेट में डिफारेस्ट कर रही है ताकि भूमि हीन मजदूरों के ६०० परिवार बसाये जा सकें।

*३---**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**---क्या तराई भावर में अभी और जमीनें हैं, जो पर्वतीय लोगों को दी जा सकें ? अगर हां, तो कितनी व कहां हैं और कैसे मिल सकेंगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस सवाल के पहिले भाग का जवाब दिया जा चुका है। तराई और भाभर गवर्नमेंट इस्टेट में ऐसी जमीन अब नहीं है कि जो बगैर जंगल को डिफारेस्ट किये हुये काश्त के लिये दी जा सकें। जमीन भूमिहीन मजदूरों को Superintendent Tarai & Bhabhar Govt. Estates तकसीम करेंगे। इसके मुताल्लिक काम जल्द ही जारी हो जायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो जमीन मिलेगी उनमें जो गरीब लोग आबाद किये जायेंगे उनके लिये कोई आर्थिक सहायता सरकार देगी ताकि वे जंगल काट सकें, मकान बना सकें और ट्रैक्टर व खाद आदि ले सकें ?

श्री चरण सिंह---जंगल तो कटा कटाया मिलेगा। जितनी जमीन मिलेगी उसके लिये ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार तराई की उस जमीन को जो लोगों को दी गयी थी और वे अभी आबाद नहीं हुये हैं, इन भूमिहीन किसानों को देने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---जो जमीन आबाद नहीं हुई है ऐसी जमीन में से कुछ जमीन अभी भूमिहीन व्यक्तियों के लिये सुरक्षित की गयी है और दी जा रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---पहले उन्हीं जगहों को दी जा रही है जहां चरागाह ज्यादा हैं। जहां चरागाह नहीं है, क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि जंगल के अन्तर्गत उनको जमीन मिल सके ?

श्री चरण सिंह---यह तो जवाब दिया जा चुका है कि बिना जंगल काटे हुये जमीन नहीं दी जा सकती है और उसके लिये १२ वर्गमील जंगल काटे जा रहे हैं, जहां ६०० परिवार बसाये जायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार उन भूमि वितरण में राजनीतिक पीड़ितों, एक्स मिलिटरी मैन, हरिजनों, भूटियों और भूमिहीन लोगों के परिवारों के लिये कोई खास ध्यान देगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---लैंडलेस लेबरर्स को तीन हजार एकड़ जमीन दी जायगी। जिसमें हरिजन वगैरह भी हो सकते हैं। डिसप्लेस्ड परसन्स को ४ हजार एकड़ जमीन दी जायगी और दूसरे आदमियों को १५८५ एकड़ दी जायगी जिसमें और लोग भी आ सकते हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टिहरी गढ़वाल)---क्या सरकार जो हाल ही में पंचायती फारेस्ट बनाये जा रहे हैं और उनके लिये जो जमीन ली जा रही है उसमें से भूमिहीन लोगों को जमीन देने का बिचार रखती है ?

श्री चरण सिंह---इस सवाल से पंचायती फारेस्ट का संबंध नहीं मालूम होता है।

अलीगढ़ सेंट्रल डेरी फार्म से लाभ

*४---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ जब से सरकार के अधीन आया तब से प्रतिवर्ष सरकार को इससे कितना मुनाफा हुआ ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---सरकार को प्रति वर्ष मुनाफा इस प्रकार हुआ।

१९४८-४९	८६,३४० रु० १५ आना ० पाई
१९४९-५०	५,४३२ रु० ६ आना ६ पाई
१९५०-५१	१३,४६६ रु० ६ आना ६ पाई
१९५१-५२ में सरकार को	१,५५,३३१ रु० ९ आना ५ पाई की हानि हुई।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन सालों के कारण ही चौथे साल में १ लाख ५५ हज़ार रुपये की मुनाफे में कमी हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---घाटे का कारण यही है कि जो माल डेरी फार्म में बना करता था उसके लिये पिछले सालों में जो उपयुक्त बाज़ार था उसके भाव में गिरावट हुई और इसके साथ ही जितने जानवर रखे गये वह गुंजायश से अधिक रक्खे गये थे और उन पर ज्यादा खर्च हुआ ।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने जानवर कैवेन्टर के जमाने में रहते थे उससे ज्यादा जानवर सरकार ने रखे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---कैवेन्टर के जमाने में दूध वाले पशु रहते थे और उनसे कहीं ज्यादा अब रखे गये जब कि कैवेन्टर से डेरी फार्म लिया गया । पहले दूध वाले पशु अधिक नहीं थे सुअर अधिक रखे जाते थे।

*५---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ के सरकारी होने के बाद कितना-कितना और कौन सा माल प्रति वर्ष कलकत्ता भेजा गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३० पर)

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो तालिका दी गई है उसमें दूसरे और तीसरे साल कलकत्ता में भेजे गये माल की क़ीमतों में दुगुनी और तिगुनी वृद्धि हो जाने पर भी मुनाफे में क्यों कमी हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जिन सालों का आपने जिकर किया है उन सालों की क़ीमतों से अब काफी फर्क़ पड़ा है, तब काफी भाव गिरे नहीं थे ।

श्री भगवान सहाय---क्या यह बात सही है कि जब यह कवैन्टर की फर्म ख़रीदी गई थी उसके साथ उन दुकानों को भी नहीं ख़रीदा गया था जो कलकत्ते में थीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह बात सही है ।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार को यह नहीं मालूम है कि इन दुकानों के न ख़रीदने से माल की बिक्री में कमी होने की खास वजह है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह एक वजह हो सकती है पूरी वजह नहीं हो सकती।

*६---**श्री भगवान सहाय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेंट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ कितनी लागत में ख़रीदा गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---८,७५,००० रुपये में ।

बस्ती में डेरी फार्म खोलने के लिये आर्थिक सहायता

*७---**राजा वीरेन्द्रशाह** (ज़िला जालौन)---क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी की उसने बस्ती ज़िले में एक डेरी फार्म खोलने के लिये किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता तथा क़र्ज़ा दिया है ? वह सहायता की रक़म कितनी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां। बस्ती डेरी फार्म को १०,००० रुपया बतौर सहायता और १०,००० रुपया क़र्ज़ के रूप में दिया गया था।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि यह जो सहायता और क़र्जा दिया गया था इसमें से कितनी रक़म वापस हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—क़र्ज में से अब तक दो हजार रुपया वापस हुआ है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार उन सज्जन का नाम बताने की कृपा करेगी जिनको यह रुपया सहायता और क़र्ज में दिया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—श्री अब्दुल मुईज खां।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस डेरी के मालिक को दूध में पानी मिलाने में सजा हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य को है तो हो सकता है।

*८—राजा वीरेद्रशाह—क्या सरकार यह बतालायेगी कि उक्त डेरी खुली या नहीं और खुली तो कब, तथा उस समय उसमें कितने दूध देने वाले पशु थे और अब कितने हैं, तथा कुल कितना दूध प्रति दिन होता है और वह किस भाव पर जनता को बेचा जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जब सहायता और क़र्ज दिया गया था उस वक्त डेरी क़ायम थी । उस समय डेरी के पास ३ दूध देने वाले जानवर थे और इसके अलावा बछड़े भी थे। जून, १९५२ के अन्त में डेरी के पास ८ दूध देने वाले जानवर और ५ बछिया व पड़िया थीं उनमें से कुछ दूध देने वाली थीं । और कुछ गाभिन थीं । प्रति दिन १२ सेर दूध होता था । जो जनता को १२ आने सेर की दर से बेचा जाता था।

*९—१०—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[१६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

टिहरी गढ़वाल के पटवारियों का प्रथक-कारण तथा पुर्ननियुक्ति

*११—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश टिहरी-गढ़वाल ने माह अगस्त, सन् ५२ में वहां के कुछ पटवारियों को डिसचार्ज किया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां, जिलाधीश टिहरी-गढ़वाल ने अगस्त, १९५२ में ७३ पटवारियों को इस वजह से डिसचार्ज किया कि न तो वह पटवारियान शिक्षा की निर्धारित योग्यता रखते थे और न ट्रेंड थे।

*१२—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त पटवारियों में से अधिकांश पटवारियों को उसी रोज या उसके पश्चात ही जिलाधीश ने अस्थाई रूप से फिर पटवारी बनाया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां , ७३ पटवारियों में से ५७ पटवारियों को जिलाधीश ने फिर से मुक़र्रर कर दिया, क्योंकि जिलाधीश को उन ७३ पटवारियों की जगह ऐसे आदमी न मिले जो ट्रेंड हों या शिक्षा की निर्धारित योग्यता रखते हों । शेष १६ पटवारियों को इस लिये जगह नहीं दी कि उनका काम खराब था उनकी ईमानदारी के बारे में भी सन्देह था।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि पटवारियों के लिये शिक्षा की कौन सी योग्यता निर्धारित है ?

श्री चरण सिंह—मैदानों में तो वर्नाक्युलर मिडिल की योग्यता निर्धारित है। लेकिन यह सवाल टेहरी से वास्ता रखता है। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार को विदित है कि इन पटवारियों में से बहुत से मिडिल पास भी थे जो कि बरखास्त किये गये हैं?

श्री चरण सिंह—जो अयोग्य थे केवल वही बरखास्त किये गये थे।

घोसी और सगड़ी तहसील (जिला आजमगढ़) में बाढ़ अथवा सूखे का प्रकोप

*१३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को मालूम है कि घोसी सगड़ी (जिला आजमगढ़ की तहसील) के सरहदी इलाक़ों में हर साल बाढ़ अथवा सूखे का प्रकोप बनाही रहता है? अगर हां, तो इससे जनता को मुक्ति दिलाने के लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सत्य नहीं है कि घोसी और सगड़ी तहसील के सरहदी इलाक़े में बाढ़ अथवा सूखे का प्रकोप बना ही रहता है, अतः प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं, तथापि समस्त पूर्वी जिलों को उन्नत तथा विकसित करने के लिये जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं या की जायंगी उनसे इस भाग को भी लाभ पहुंचेगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों तहसीलों की सरहद पर बहने वाली नदी सरजू में जो सरकार की तरफ से गड्ढे खुदवाये जा रहे हैं वह किस चीज और योजना के मातहत किया जा रहा है?

श्री चरण सिंह—मुझे गड्ढों की इत्तला नहीं है। झारखंडे राय जी को ज्यादा होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय माल मंत्री बतायेंगे कि घोसी और सगड़ी तहसील में जो बाढ़ आयी मालूम होती है उसे रोकने का क्या सरकार उपाय करने वाली है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—लगभग ८ मील लम्बा बांध तो घोसी में सूरजपुर से भटिया तक नदी के बाढ़ के पानी से बचाने के लिये बनाया जायगा और एक चिउंटीडांड़ में तीन मील लम्बा बांध बनाया जायगा।

श्री रामसुंदर पाण्डेय—क्या माल मंत्री बता सकते हैं कि जो बांध पहले से बना हुआ है वह भटिया से बलिया जिले तक मिलाया जा सकता है?

श्री चरण सिंह—यह तो इंजीनियर्स से दरियाफ्त करने पर बताया जा सकेगा।

श्री उमाशंकर (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतलायेगी कि सगड़ी तहसील में उन्नति करने के लिये कौन सी योजना चल रही है?

श्री चरण सिंह—यों तो सारे प्रदेश को उन्नत करने के लिये योजनाएं चल रही हैं और खास कर उन इलाक़ों को, किन्हीं मानों में पिछड़े हुये, लेकिन उन इलाक़ों में भी हर विशेष छोटे टुकड़े के लिये कोई योजना नहीं है। जो सारे प्रदेश के लिये है उसी से प्रदेश के छोटे-मोटे इलाकों को फायदा पहुंचेगा।

श्री गोपाल स्वामी आयंगर के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री गोबिन्द बल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज से क़रीब एक हफ्ते पहले हमारे देश के एक बड़े परिश्रमी, बुद्धिमान, अनुभवी योग्य शासक और

देश सेवक हमें छोड़ कर चले गये और श्री गोपाल स्वामी आयंगर की मृत्यु के होने से सारे देशभर में १० तारीख़ को शोक छा गया।

यह एक विशेष उदाहरण है कि जिस मनुष्य ने अपना काफी समय पहले सरकारी नौकरी में बिताया हो उसकी मृत्यु होने पर देश को एक राष्ट्रीय क्षति का, एक कौमी कमी का आभास हो और यह लोगों की समझ में आवे कि हमारे देश के इस पुरुष के जाने से एक बड़ी भारी हानि पहुंची है।

साधारणतः जिन लोगों ने राजनीतिक आन्दोलन में या साहित्यिक क्षेत्र में विशेष उन्नत स्थान, ऊंची जगह पायी हो उन्हीं के सद्प्रयाण से इस तरह की देश भर में शोक की भावना प्रवाहित होती है। गोपाल स्वामी जी विशेष व्यक्तित्व रखते थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही, अपने बचपन से ही अपनी कुशाग्र बुद्धि का अच्छी तरह से सबूत दिया था। वे जब पढ़ते थे तब भी एक बहुत योग्य विद्यार्थी थे। उसके बाद फिर मद्रास की प्राविश्यल सिविल सर्विस में वे कम्पीटीशन के जरिये गये और वहां से सरकारी तमाम बन्धनों के रहते हुये भी उन्होंने देश की सेवा करने में कोई कोताही नहीं की और वे मद्रास प्रान्त में खास कर पंचायतों के आजकल के विधान को बनाने में सफल हुये जो एक बहुत दूरदर्शिता की बात थी। बोर्ड आफ रेवेन्यू के भी वे मेम्बर थे और फिर पेंशन पाकर वह कश्मीर के प्रधान मंत्री रहे। जब देश स्वतन्त्र हुआ और विधान मण्डल हमारा विधान बनाने के लिये बना तो वे विधान मण्डल में एक प्रतिनिधि हो कर मद्रास से आये और वहां उन्होंने बड़े महत्व का काम किया। जिन्होंने विधान मंडल में उस समय कोई दिलचस्पी रखी हो वह जानते होंगे कि हमारे मौजूदा विधान के निर्माताओं में गोपाल स्वामी जी का काफी ऊंचा स्थान रहा और उन्होंने बड़ी योग्यता से उसको बनाने में सक्रिय रुप से सहयोग दिया। उसके बाद जब हमारी अपने राष्ट्र की गवर्नमेंट बनी तो उसमें श्री गोपाल स्वामी जी आये। पहले तो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने और उसके बाद फिर वे यातायात, रेलवे के और अन्त में जब उनका निधन हुआ उस समय वह रक्षा मन्त्री (डिफेंस मिनिस्टर थे) उन्होंने जो भी काम किया बड़ी खूबी से किया। उनके साथ काम करने वालों ने चाहे सरकारी या ग़ैर सरकारी जो भी लोग रहे हों सब ने उनका लोहा माना और उनकी राय को बराबर बड़ी क़दर होती थी। वे हर चीज को अच्छी तरह से तौल कर, सोच समझ कर करते थे। वे व्याख्यान बहुत देने के आदी नहीं थे परन्तु गवेषणा करने, हर चीज को बारीकी से सोचने के और जटिल से जटिल भी जो सवाल हों उनको बड़ी खूबी के साथ हल करने में वे हर तरह से प्रवीण थे और जब कभी कोई ऐसे बारीक सवाल होते थे तो उनकी राय की ख़ास-तौर पर प्रतीक्षा की जाती थी। जब काश्मीर का सवाल उठा तब उन्होंने यू० एन० ओ० में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। फिर वे जिनेवा पारसाल भी इस सिलसिले में गये थे। उनमें विशेषता एक यह थी कि सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ और बिना किसी तरह की ममता के कर्त्तव्यपरायणता के भावों से प्रेरित हो कर वे काम करते थे।

उनका अनुभव था, उनमें योग्यता थी और उनमें पुरुषार्थ था। वे विशेष शान्ति से ध्यान लगा कर काम करने वालों में से थे जिनका कर्तव्य के अतिरिक्त बाह्य बातों से संबंध नहीं था। यह एक असाधारण सी बात है कि जो मनुष्य राजनीतिक क्षेत्र में न रहे, जिसने अपना कन्धा इस तरह के संघर्ष में रगड़ा न हो, वह पार्लियामेंट में एक बड़ी ऊंची जगह रहे और ऐसे कार्य में सब से अग्रणीय रह कर अपनी सफलता को दिखा सके। इसके लिये जिनका भी उनसे संपर्क रहा हो वे उनके प्रति आदर और स्नेह की भावना रखे बग़ैर नहीं रह सकते हैं। हृदय के भी गोपाल स्वामी जी बहुत ही उदार और स्नेहपूर्ण पुरुष थे।

उनका परिवार भी हमारे देश में पहले से एक विशेष स्थान रखता आया है। रंगास्वामी आयंगर कांग्रेस में और स्वराज्य पार्टी में भी एक खास ऊंची जगह रखते थे। राजनीतिक प्रश्नों की विवेचना करने में वह देश के कुछ प्रमुख व्यक्तियों में समझे जाते थे। इसी तरह उनके चचा भी और इनका परिवार हमेशा से देश सेवा के कार्य करता आया है। उन्होंने सरकारी नौकरी के झंझटों में होते हुये भी अपने देश के प्रति सारी भावना को लगा कर रचनात्मक

कार्यों में बड़ी सफलता दिखलायी । आज उनके जाने से हमें बड़ी भारी क्षति पहुंची है। उनकी जगह आसानी से भरी नहीं जा सकती। वह एक कुशल और चतुर शासक ही नहीं थे, और केवल दूरदर्शी राजनीतिज्ञ ही नहीं थे बल्कि उनमें क्रियात्मक मानवता के ऐसे-ऐसे विशेष गुण थे जिनसे जो कोई भी उनके सम्पर्क में आता था उसे यह लगता था कि एक ऐसे सज्जन से हम मिल रहे हैं जो सत्य को ही सामने रखता है और जिसकी एक मात्र इच्छा देश और समाज का हित और सेवा है । वह अपने कामों में भी कोई दलबन्दी नहीं रखते थे और मिलजुल कर ही कार्य करते थे।

आज गोपाल स्वामी जी के जाने से हमारे देश में जो अनुभवी, प्रयासी और रचनात्मक कार्यों की योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों की देश के लिये आवश्यकता है उसमें बड़ी भारी कमी हो गयी है । बड़ा भारी धक्का लगा है। उसका एक दम पूरा करना भी कठिन ही है। भगवान की मर्जी है।

हम सब इस सदन की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे और जो कुछ भी कमी देश में इस तरह पर हुई है उसे पूरा करने में हम सब क्रियाशील हो कर अपने कर्तव्य को समझ कर जो उनके काम अधूरे रह गये हैं उनको आगे बढ़ाने में यत्नशील हों।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने श्री गोपाल स्वामी आयंगर की खूबियों का वर्णन किया । गोपाल स्वामी जी सचमुच एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जहां तक हमें उनको अध्ययन करने का अवसर मिला है हमने यह भी पाया कि वह भारतीय भावना से ओतप्रोत थे। एक बार अंग्रेजी राज में जब एक सरकारी कमीशन की नियुक्ति हुई थी तो इनसे सवाल पूछा गया था कि इन्डियन सिविल सर्विस में भारतियों का क्या प्रतिनिधित्व हो। उसका जवाब आयंगर जी ने दिया था कि यह सवाल ही टेढ़ा है, प्रश्न तो पूछना चाहिये था कि विदेशियों का क्या प्रतिनिधित्व हो क्योंकि भारतीयों के लिये ही तो इण्डियन सिविल सर्विस है । केवल इस एक ही जवाब को ले कर अगर हम उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करें और उस पर अपना मत बनावें तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि वे बिलकुल भारतीय थे और भारत के उत्थान के लिये, उसकी बृद्धि के लिये, उसके कल्याण के लिये सर्वदा सचेत रहते थे। यह सही है कि आरम्भ में वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे मगर जब इनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारियां आयीं तो जिस लचीले मस्तिष्क के साथ इन्होंने शासन की नीति को कार्यान्वित किया उससे हम सभी भलीभांति परिचित हैं। जब रेलवे मैंस फेडरेशन की हड़ताल की चर्चा चल रही थी तो जय प्रकाश जी और गोपाल स्वामी की वार्ता जो सफल हुई उस सफलता में भी उनके मस्तिष्क के लचीलेपन की एक झलक मिलती है । जब हम अपनी श्रद्धांजली श्री आयंगर जी को अर्पित करते हैं तो उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी चिन्ता भी हमें होती है कि इस तरह कुशल पुराने राजनीतिज्ञ एक-एक कर के हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। हम नवयुवकों के लिये महान चिन्ता का यह विषय है कि हमको जो यह स्थान रिक्त हो रहे हैं, जो मुल्क में यह कमियां हो रही हैं, और जो जिम्मेदारियां नौजवानों के कन्धों पर आने वाली हैं उनके लिये हम तैयार हैं या नहीं। हमें सचेत रहना चाहिये और अपने को बारबार इस तराजू पर तौलना चाहिये कि हम इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये उनके अन्दर जो गुण विशेष थे और उनके द्वारा जिन विशेष कार्यों को वह सम्पादित करते थे उन कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादन करने की जिम्मेदारी का भार-वहन करने की योग्यता हम रखते हैं या नहीं । श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ इस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके वंश के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय ! माननीय मुख्य मंत्री जी और श्री राजनारायण जी ने श्री गोपाल स्वामी जी की चर्चा की।

मुझे श्री गोपाल स्वामी जी से अधिक परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त न रहा किन्तु जिस समय दिल्ली में भारतवर्ष का विधान बन रहा था उस समय कांस्टीटुयेंट असेम्बली के सदस्य होने के नाते श्री गोपाल स्वामी जी से मिलने का अवसर मिला। अधिक न कह कर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस एक व्यक्ति की परिश्रम का परिणाम और बुद्धि का फल भारतवर्ष का संविधान है वह व्यक्ति भारतवर्ष के लिये सदैव अमर रहेगा।

श्री अध्यक्ष—इस आदरणीय सदन ने श्री गोपाल स्वामी आयंगर के स्वर्गवास पर जो उद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं भी अपनी सहमति प्रकट करता हूं। मेरा श्री गोपाल स्वामी आयंगर से कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क कार्यक्षेत्र की भिन्नता के कारण नहीं हुआ लेकिन उनकी शासन पटुता, विद्वता, सौजन्यता और दूरदर्शिता के संबंध में मैं उनकी कीर्ति का बखान क़रीब १०-१५ साल से सुनता आ रहा हूं। इस प्रकार उनका मेरा दूर से परिचय है। पहले पहल ली–कमीशन के सामने जब उन्होंने अपनी गवाही दी उस वक्त उनकी बुद्धिमत्ता और निर्भीकता का परिचय मुझे पहले पहल मिला। जिसके संबंध में श्री राजनारायण जी ने जिक्र किया।

इसके पश्चात् जब वे मुख्य मंत्री काश्मीर के हुये तो प्रथम चरण में मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जब श्री शेख अब्दुल्ला इनके कार्यकाल में गिरफ्तार हुये लेकिन जब क्रिप्स मिशन के सामने उन्होंने मुख्य मंत्री की हैसियत से और रियासतों को इसके लिये तैयार किया कि वे अलहदा इस देश में कोई अपने-अपने राज्यों के लिये ऐसा स्थान न प्राप्त कर लें और भारतवर्ष में ही उनका स्थान रहे और एक ही भारतवर्ष रहे, इसके मनवाने में जब वे समर्थ हुये तब उन्होंने देश का एक महत्वपूर्ण कार्य किया और उस सिद्धांत को अपने देश के सामने रखा जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जब स्वतंत्रता इस देश को मिली तो इन रियासतों के विलीनीकरण करने में बहुत कुछ सहायता हमारे नेताओं को मिली।

तीसरे जो उनकी शासन के संबंध में ख्याति रही वह उन्होंने बराबर केन्द्र के मन्त्रि-मण्डल में रह कर सिद्ध कर दिखाई और अन्तिम कार्य जो उन्होंने कर दिखाया वह रेलवेज़ को पुनःसंगठन करके उसकों नये-नये रीजन्स में बांट देने का है जिस का फल हमें आयन्दा मिलने की पूर्ण आशा है क्योंकि उनकी शासन पटुता पर और कार्य के अनुभव होने के कारण ही हमारे प्रधान मन्त्री जी ने उनके जो सुझाव थे उनको स्वीकार किया था। इसका फल भी हमें एक वर्ष में अच्छा दिखाई दिया। इस दृष्टि से विद्वता, शासन पटुता, दूरदर्शिता और राजनीति में ऊंचे से ऊंचे सुझाव देने वाले व्यक्ति का हमारे बीच में से उठ जाना हमारे देश के लिये बहुत दुख की बात है और जो कमी उनके जाने से हुयी है उसकी पूर्ति बड़ी कठिनाई से हम कर सकते हैं।

मैं इस सदन के जो उद्गार दुखपूर्ण हुये हैं उनके साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं और जो यहां पर इस संबंध में सम्बाद हुआ है वह सहानुभूति युक्त उनके कुटम्बियों के पास अपने पत्र द्वारा पहुंचा दूंगा। मेरा निवेदन है कि आप सब शोक प्रकट करने के हेतु एक मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(इस के पश्चात् सदन के माननीय सदस्य एक मिनट के लिये खड़े हो गये।)

श्री जगन्नाथ मल्ल एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं इस सदन को एक सूचना देता हूं कि हमारे माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ मल्ल जी की गिरफ्तारी धारा ३४१ इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत हो गयी है। उसके संबंध में पडरौना के मजिस्ट्रेट साहब ने मुझको इसकी सूचना दे दी है और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के कारण भी बता दिये हैं। यह सूचना मैं इस सदन को देना चाहता हूं।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सूचना सदन को देना चाहता हूं कि आज सुबह जगन्नाथ मल्ल जी छोड़ दिये गये हैं और इस वक्त वे जेल में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—यह खुशखबरी भी माननीय सदस्यों ने सुनी ली। श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने एक प्रिविलेज का सवाल इसके बारे में उठाया था वह नहीं उठता क्योंकि मुझे मैजिस्ट्रेट ने इत्तला दे दी थी। क्योंकि अब प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

आय-व्ययक के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर संकेत करते हुये) आपका दूसरा प्रस्ताव अनुपूरक बजट के संबंध में हैं। क्योंकि बजट अभी पेश नहीं हुआ है इसलिये शायद आप उसे पेश नहीं करना चाहते ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—जी हां, मैं उसे कल पेश करूंगा।

इटावे के मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तीन कामरोको प्रस्ताव हैं। एक इटावे के मेहतरों की हड़ताल के बारे में है। तो यह मैं पहिले ही कह चुका हूं कि जब तक कि किसी हड़ताल का संबंध प्रांतीय सरकार से न जोड़ दिया जाय तब तक कोई भी कामरोको प्रस्ताव केवल स्थानीय मामलों पर इस सदन में पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव में भी कोई ऐसी चीज़ मालूम नहीं होती जिससे प्रांतीय सरकार का कोई संबंध स्थापित होता हो।.इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि यह सदन की अनुमति के लिये पेश हो।

मिलों द्वारा पूर्वी जिलों के मज़दूरों का वेतन रोकने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह का है और वह पूर्वी जिलों के मजदूरों के वेतन का जो करोड़ों रुपया मिलों ने रोक रक्खा है उससे संबंध रखता है। उससे जो परस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिये इस सदन का काम रोका जाय इसके लिये उसमें भी कोई डैफिनिटनैस नहीं दिखाई देती क्योंकि उसमें आमतौर पर जो करोड़ों रुपया मिलों ने वेतन का नहीं दिया है उसका जिक्र है, इसलिये मैं उसकी भी इजाजत नहीं देता ।

पटवारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगनप्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा प्रस्ताव पटवारियों के संबंध में है कि २८ हजार पटवारियों में से २० हजार पटवारियों ने हड़ताल कर दी है उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिये इस सदन का काम रोका जाय। इस संबंध में भी प्रश्नोत्तर के समय बहुत सी चीजों का स्पष्टीकरण हो चुका है। परन्तु फिर भी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण मैं श्री झारखंडे राय जी को यह अनुमति देता हूं कि वह इस सदन के सामने इस संबंध में काम रोकने के बारे में अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव रक्खें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मैं आपके जरिये से सदन से आज्ञा देने के लिये प्रार्थना करूंगा। उन पटवारियों के लिये कि जिनके निर्वाह का साधन पेश नहीं किया गया है। उनका इस्तीफा मंजूर करने के लिये जिलाधीशों को आज्ञा दे दी गई है। ऐसी स्थिति में २८ हजार पटवारियों के बेकार हो जाने से सारे देश में बेकारी की समस्या एक भयानक रूप धारण करेगी और जो बेकारी समस्या अभी तक हमारे सामने है उसमें और इजाफा हो जायगा ।

इसलिये मैं समझता हूं कि इतने आदमियों को बेकार कर देने के बाद और उनको नौकरी न देने के बाद जो परिस्थिति पैदा हो गयी है वह सरकार को परेशान करेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि उन पटवारियों के बेकार हो जाने के बाद जिनके ऊपर उनके परिवार का भार है उनकी समस्या कठिन हो जायगी। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसके लिये वह अपनी अनुमति प्रदान करें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं इसका विरोध करता हूं और आपका ध्यान नियमावली के नियम ७० और उपनियम ६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि किसी सार्वजनिक आपाति महत्व के निश्चित विषय पर चर्चा करने के लिये सभा के कार्य-स्थगन के प्रस्ताव करने का अधिकार निम्नलिखित निबंधों के अधीन, अर्थात् प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जायेगा जो पहले ही से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो। यह निश्चय करने के लिये कि विषय के पहले से विचारार्थ रखे जाने के कारण चर्चा अनियमित है या नहीं, अध्यक्ष पहले से रखे गये विषय की उचित समय के भीतर सभा के सामने आने की सम्भावना का ध्यान रखेगा, अभी राज्यपाल महोदय का जो भाषण हुआ है उसके सिलसिले में बतौर संशोधन के जितने भी सार्वजनिक प्रश्न हैं उन सब पर विवाद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बजट सेशन भी आ रहा है बजट भी पेश होगा उसमें हर डिपार्टमेंट का बजट होगा उस सिलसिले में झारखंडे राय जी जो भी प्रश्न उठाना चाहें उठा सकते हैं और बहस कर सकते हैं और विस्तार के साथ उस पर बात चीत करने का मौका होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है और तब इन विषयों को उठाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---जहां तक इस नियम का उल्लेख किया गया है उसमें तो यह है कि वह विषय फिक्सड होना चाहिये। राज्यपाल जी का भाषण या और जिस समय लोगों को मौका मिले वह बोल सकते हैं यह निर्धारित बातें नहीं हैं और नियम में यह है कि वह विषय पहले से निर्धारित होना चाहिये। जिसके कि संबंध में मोशन नहीं आ सकता है। इसलिये यह वैधानिक आपत्ति इसमें नहीं उठती है।

जहां तक यह सवाल है कि यह सदन अनुमति दे या न दे यह सदन का अधिकार है। चूंकि इसका विरोध किया गया है इसलिये मैं सदन से अनुमति लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायं ।

(केवल २६ सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष---इसके पक्ष में २६ सदस्य खड़े हुये हैं और इसके लिये ३६ सदस्य होना आवश्यक है । इससे मालूम होता है कि सदन की अनुमति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण के कुछ अंश का सदन के समक्ष पाठ

श्री अध्यक्ष---अब नियम के अनुसार मेरा यह कर्त्तव्य है कि मंत्री श्री राज्यपाल के संबोधन को पढ़कर सदन के सामने सुनाऊं । चूंकि यह सदन अभी श्री राज्यपाल के पूरे संबोधन को सुन चुका है। इसलिये प्रथा के अनुसार अब मैं उसके अंतिम और प्रारम्भ के भाग को पढ़कर सुनाता हूं।

"विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्यगण,

मुझे राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को प्रथम बार संबोधन करने में गौरव है। गत मई के उद्घाटन सत्र से लेकर आज तक आप सबने विधान कर्त्ता के रूप में अथक उत्साह तथा कर्त्तव्य परायणता से कार्य किया है। कार्य के अनवरत भार ने आपको विचलित नहीं किया और उससे आपके कार्य के आकार और प्रकार में भी कोई ह्रास नहीं हुआ है।"

[श्री अध्यक्ष]

"मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी अपने लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा आपका विवेक आपकी दूरदर्शिता तथा कर्त्तव्य परायणता आपको उन महत्वपूर्ण समस्याओं के हल करने में सफल बनायेगी जो अब आपके सामने हैं। ईश्वर आपको आपके प्रयत्नों में सहायता दे।

जय हिन्द"

उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ सितम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ अक्तूबर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, श्री राष्ट्रपति की अनुमति १३ दिसम्बर, १९५२ को प्राप्त हो गई और वह १९५२ का उत्तर प्रदेश का ३९ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० अक्तूबर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था श्री राज्यपाल की अनुमति १४ जनवरी, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रेक्विजिशन (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन विधेयक,) १९५२

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रेक्विजिशन (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधाद परिषद् ने अपनी २९ दिसम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, श्री राष्ट्रपति की अनुमति १५ जनवरी, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का द्वितीय अधिनियम बन गया।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में जो ७ नवम्बर का आइटम है वह पहले ले लिया जाय।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के १९५२-५३ वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को स्थापित करता हूं।

२१ फरवरी, १९५३ को नियमित समय तक तथा २० फरवरी और २४ मार्च, १९५३ को ५ बजे के बाद तक भी बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू०पी० लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से

२१ फरवरी, १९५३ को नियमित समय तक तथा २० फरवरी, और २४ मार्च, १९५३ को २३ ५ बजे के बाद तक भी बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

पांच बजे सायंकाल तक ही होती है और उक्त नियम के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती। तथापि १९५२–५३ के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदान तथा १९५३–५४ के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रिएशन बिल) को ३१ मार्च १९५३ ई० के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर २१ फरवरी, १९५३ को भी होगी और यह भी संकल्प किया जाता है कि २० फरवरी, १९५३ ई० और २४ मार्च, १९५३ ई० को सदन की बैठक ५ बजे सायंकाल के बाद तक भी होगी।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—व्यवस्था का प्रश्न ! (श्रीमन्).....

श्रीमन्, नियमावली की धारा ७६ के अनुसार सरकार को कोई भी संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सात दिन का नोटिस देना चाहिये। इस संकल्प में कोई भी नोटिस इस प्रकार का नहीं दिया गया है। इसलिये यह संकल्प आज प्रस्तुत नहीं हो सकता है।

इस संबंध में जो नियम २२१ है, नियमों के सस्पेंशन के बारे में, उसके बारे में कोई संकल्प नहीं प्रस्तुत किया है। इसलिये आज संकल्प आ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—इसका नोटिस जो है वह ४ फरवरी को यहां से पोस्ट हो गया है।

आज १६ है यानी सब को इस का नोटिस दस रोज पहले मिल गया। तो यह आपत्ति वैधानिक नहीं है। मैं इस आपत्ति को आउट आफ आर्डर करार देता हूं।

श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त—यह प्रस्ताव बड़ा सरल है। इसमें जो कारण दिया गया है उसके बारे में मैं आशा करता हूं कि कोई विशेष मतभेद भी नहीं होगा। और जो कुछ इसमें दिया गया है वह भी बहुत ज्यादा सरल और हलका सा है। एक तो यह है कि २१ मार्च, को भी सदन की बैठक हो, गो कि वह शनिवार है और २० फरवरी और २४ मार्च को सदन की बैठक ५ बजे सायंकाल के बाद तक भी होगी। २१ फरवरी को बजट इस सदन में पास होगा। इसके लिये इस बात की जरूरत है कि उस रोज सदन की बैठक की जाय। वास्तव में यह नियम जो हमारे यहां बना है कि शनिवार को बन्द होना चाहिये यह कहां तक आवश्यक है कि ऐसा नियम हो, यह तो इस वक्त सामने बात आती नहीं है, परन्तु यह कि ऐसे आवश्यक अवसरों पर इस नियम के कारण काम करने में बाधा न पड़े, यह तो हर तरह से जरूरी है और बजट पेश करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा।

दूसरी बात यह है कि २० फरवरी और २४ मार्च को पांच बजे के बाद भी बैठक होगी, उसका तो सिर्फ मतलब यह है कि ५ बजे उस दिन जो कुछ भी संकल्प रह जाते हैं, जो कोई भी डिमांड्स होती हैं वह कब तक पूरी नहीं होतीं, फिर पांच बजे के बाद उनमें सदन का मत लिया जाता है। इस लिये ५ बजे उसको खत्म करना कोई सम्भव सी बात नहीं है। और एप्रोप्रिएशन बिल भी उस रोज पेश हो सकता है।

इसलिये इसमें किसी तरह से भी मैं समझता हूं, आपत्ति नहीं होगी और सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो संकल्प उपस्थित किया है उसका एक उद्देश्य भी इस संकल्प में वर्णन किया गया है और वह उद्देश्य यह है कि ३१ मार्च, १९५३ ई० के पूर्व बजट के पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ही यह संकल्प किया जाता है। श्रीमन्, यह आपके जरिये जो हम अपनी आपत्ति और शिकायत इस सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं यह पहला मौका नहीं है।

[श्री राजनारायण]

बार-बार सदन में निवेदन करते हुये और बार-बार आग्रह करते हुये, मगर मुझे दुःख होता है कि उस समय जब कि हमारे निवेदन और सादर साग्रह निवेदन पर कुछ खयाल नहीं किया जाता। कोई भी नियम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही बनाया जाता है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किसी को तोड़ा भी जाता है। यह सही है कि ३१ मार्च सन् १९५३ तक विनियोग विधेयकों से संबंधित जितनी बातें हैं वह पूरी हो जानी चाहिये। मगर कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि यह सदन कुछ और पहले न बैठ जाता। इस सदन को कुछ और पहले बैठा करके अगर उन नियमों का पालन किया गया होता, जो नियम कि किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही बनाये गये थे और आज मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि बजट जो होता है वही सारे ढांचे को प्रदर्शित करता है कि हमारे सूबे का कार्यकलाप किस तरह से प्रतिपादित होगा और हमको इस बजट के आइटम को पढ़ने और समझने का मौका समुचित रूप से नहीं मिलेगा, तो क्या हम अपने कर्त्तव्य को पालन कर पायेंगे? श्रीमन्, आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल शनिवार का समय है ही और एक हफ्ते में इतवार हो जाता है। यही समय हमें मिल पाता है। और सरकारी पक्ष तो बहुत साधनों से सुसम्पन्न है, सारे का सारा सेक्रेटेरियट उसके लिये विद्यमान है, तमाम रिसर्च स्कालर उस के लिये लगे हुये हैं, तमाम सुविधायें उसे प्राप्त हैं। उन तमाम सुविधाओं को लेकर वह अपने विचारानुसार बजट बनाते हैं और सदन में प्रस्तुत करते हैं।

मगर बिरोधी दल, जिन उद्देश्यों को लेकर वजट बना हुआ है और जिन उद्देश्यों को लेकर उसमें संशोधन और, और बातें पेश करता है उसके लिये क्या समुचित समय हमें प्राप्त होगा। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमें समुचित समय प्राप्त नहीं होगा। और एक बात मैं आपके जरिये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम शनिवार को नहीं बैठना चाहते, किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम एतवार को नहीं बैठना चाहते या हम रात को नहीं बैठना चाहते। हम शनिवार को भी बैठने के लिये तैयार हैं। हम एतवार को भी बैठने के लिये तैयार हैं और अगर कोई आवश्यकता आ जाय तो रात में भी बैठकर इस काम को पूरा करने के लिये तैयार हैं। मगर हमें बजट में अच्छे तरीके से विचार विनमय करके अपने मतों को उपस्थित करना है तो हमें समय अवश्य मिलना चाहिये। वह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह हमें बतावें कि वह समय कैसे प्राप्त होगा। अगर बात हो जाती है तो हम शनिवार को भी बैठकर के और एतवार को भी बैठकर कर के उस पर विचार विनमय करने के लिये प्रस्तुत हैं और हमारा कोई विरोध भी नहीं रहेगा। मगर हम चाहते हैं कि हमें समय जरूर मिले जिससे हम अपने विचार अच्छी तरह से प्रगट कर सकें।

श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त—मैं नेता विरोधी दल के इस विचार से कि उनको बजट के समझने और देखने का काफी समय मिलना चाहिये, पूरी तरह से सहमत हूं, मगर मैं यह समझता हूं कि जहां तक बजट के ढांचे की बात है वह तो अब उनके सामने बहुत दिनों से है। यह तो दूसरा बजट पेश हो रहा है। पहला तो एक हो चुका। उसे तो वह पास कर चुके हैं। उस समय वह उस ढांचे को देखना भी चाहते थे। लेकिन वहां तो काफी अनुभवी लोग हैं हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हैं और वह हर चीजें आसानी से समझ सकते हैं। इसलिये चाहे और जो लोग पहली दफे यहां आते हैं और जिनकी बुद्धि ऐसी तीव्र नहीं होती उनको ज्यादा समय की इसके लिये जरूरत भी होती परन्तु उन पर तो मेरा पूरा भरोसा है कि वह थोड़े ही समय में सब कुछ कर सकते हैं। परन्तु यहां तो उनको २ दिन का समय मिलेगा ही क्योंकि २१ को बजट पेश होगा शुरू में ही। नहीं तो परिपाटी तो ५ बजे के करीब पेश करने की है ताकि शनिवार का दिन मिल जाय, एतवार का दिन भी रहेगा। सोमवार को डिस्कशन शुरू होगा और तीन

२१ फरवरी, १९५३ को नियमित समय तक तथा २० फरवरी, और २४ मार्च, १९५३ को २५ ५ बजे के बाद तक भी बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

दिन रहेगा। दूसरी बात अगर अनुचित न हो तो मैं कहने की धृष्टता करूंगा कि बजट के वास्ते कोई हर एक आंकड़े को देखने की जरूरत नहीं है जैसे कि उसूली बातों को जिनको कि पसन्द किया जाय या न किया जाय उन पर बाद विवाद करने की है। तो उसके लिये आंकड़ों का इतना प्रश्न नहीं आता और उसूल और सिद्धांत की बातें हर वक्त सामने हैं ही। उनके लिये बजट के आंकड़ों से ही कोई बात निकलती हो, ऐसी कोई बात है नहीं। आज तो हमारे सामने फाइव ईयर प्लान है, पार साल का बजट है। इन्हीं चीजों को लेकर जो चीज बनी है वह आपके सामने आयेगी और जो उसके देखने के लिये जितना समय चाहिये मेरी समझ में जरूर इतना समय आपको रहेगा और आपके लिये वह नाकाफी नहीं है। अब जहां तक इन बातों का ताल्लुक है, राजनारायण जी को शनिवार को बैठने में कोई आपत्ति नहीं है और उससे ज्यादा हम चाहते नहीं। जहां तक २० तारीख और २४ मार्च की बात है वह आवश्यक है क्योंकि ५ बजे के बाद फिर जो उस वक्त ऐसी मांगे रह जाती हैं जिन पर कि वोट न हुआ हो उनको रखना आवश्यक होता है लिहाजा कानून न उसकी जरूरत है, यह तो बहुत छोटी सी बात है और मैं आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० असेम्बली) के नियम ११ के अनुसार सदन की बैठक ११ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल तक ही होती है और उक्त नियम के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को बैठक नहीं हुआ करती। तथापि १९५२–५३ के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदान तथा १९५३–५४ के आय व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों (एप्रोप्रिएशन बिल्स) को ३१ मार्च, १९५३ ई० के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर २१,फरवरी १९५३ को भी होगी और यह भी संकल्प किया जाता है कि २० फरवरी, १९५३ ई० और २४ मार्च, १९५३ ई० को सदन की बैठक ५ बजे सायंकाल के बाद तक भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

असरकारी कार्य के लिए नियत दिनों को भी सरकारी कार्य करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत—मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २७ फरवरी, १९५३ तथा १३ मार्च, १९५३ को उक्त महीनों के क्रमशः चौथे तथा दूसरे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में सरकारी कार्यों की अपेक्षा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की अग्रगामिता (प्रेसीडेंस) होगी किन्तु उपरोक्त कारणों से यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक, १९५३–५४ वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक की मांगों के विषय में मतदान (वोटिंग आफ डिमांड्स) के लिये ही निश्चित रहें।

यह भी साफ है कि बजट के बीच में कोई नानआफीशियल डे नहीं आ सकते हैं। असल में सारा बजट ही नानआफीशियल डिस्कशन के लिये होता ही है। जो बातें भी नान-आफीशियल डे को उठाई जा सकती हैं वे बजट में आजाती हैं। इसलिये बजट का सिलसिला तो चलता ही रहता है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :

इस संकल्प के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जावेंगे—"परन्तु उपरोक्त दो गैरसरकारी दिनों के बदले में १९५३–५४ के बजट के पास हो जाने के बाद २ अन्य सरकारी दिन गैरसरकारी प्रस्ताओं पर विवाद के लिये रख दिये जायं।"

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की यह बात सुनी कि बजट का तो ऐसा विषय है कि जिस पर तमाम गैरसरकारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन इससे में सहमत नहीं हूं। अगर हम साल में ६ माह का सेशन मानें तो एक साल में २ दिन के हिसाब से कुल १२ दिन गैर सरकारी प्रस्ताओं के लिये हमको मिलते हैं। इसमें भी अगर २,३ छुट्टियां निकल गईं तो ८,१० दिन ही रह जाते हैं। गैरसरकारी प्रस्तावों की अपनी अलग महत्ता होती है, उनमें विरोधी दल भी अपना भाग्य आजमा कर प्रस्ताव या विधेयक उपस्थित कर सकता है जो सरकारी पक्ष को मंजूर न हों। गैरसरकारी दिनों की महत्ता इसलिये नहीं हटाई जा सकती कि बजट के दिनों में तमाम गैरसरकारी बातों पर बहस हो सकती है। लेकिन हम माननीय मुख्य मंत्री जी की दिक्कत को समझते हैं कि ३१ मार्च के पहले ही बजट पास हो जाना चाहिये। यह भी उनकी ओर से किया जा सकता था कि बजाय १६ के १४ से सेशन शुरू कर देते तो २ दिन उन्हें और मिल जाते और गैरसरकारी दिन भी बने रहते। लेकिन उनकी मुश्किल को समझते हुये हमने यह रखा है कि दो दिन बजट सेशन के बाद उन प्रस्तावों के लिये रख दिये जावें जो उन दिनों के लिये इलाका में आ जावें।

अब इससे दोनों का काम निकल जाता है, गैरसरकारी प्रस्तावों के विषय में उचित व्यवस्था हो जाती है और माननीय मुख्य मंत्री को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे ताकि गैर सरकारी प्रस्तावों के लिये कोई असुविधा न हो और उनको भी बजट के समय में दिक्कत न हो सके।

श्री नारायणदत्त त्रिपाठी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक शाब्दिक संशोधन करना चाहता हूं कि संकल्प की पांचवीं पंक्ति में आये हुये शब्दों 'किन्तु उपरोक्त कारणों से' निकाल दिये जायं। चूंकि पहला जो संकल्प था वह अलग था और यह जो दूसरा है उसमें कोई कारण नहीं दिये गये हैं और जब कोई उपरोक्त कारण नहीं है तो ये शब्द बिलकुल बे मतलब है और अनावश्यक है। तो मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि उपरोक्त कारणों से शब्दों के स्थान पर केवल विराम रख दिया जाय क्योंकि इसमें कारणों का कोई वर्णन नहीं है इसलिये ये शब्द अनावश्यक हैं।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—मुझे इन शब्दों के निकालनें में कोई खास आपत्ति नहीं है क्योंकि कारणों को देने की जरूरत भी नहीं है अगर हो भी तो हम तो उसके केवल आपरेटिव पार्ट से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा नारायणदत्त जी का संशोधन मान लिया जाय इसमें मुझे कोई मुखालिफत नहीं है। जहां तक दूसरी बात का संबंध है जो रामनारायण जी ने कही वह भी मैं नहीं कह सकता कि इसमें कहां तक आना ठीक है मगर मैं कह सकता हूं कि बजट डिस्कशन के खत्म होने के बाद एक दिन तो अवश्य और जरूरत हुई तो दो दिन भी गैर–सरकारी कार्यों के लिये आपस में बात चीत करके तय हो सकते हैं। लिहाजा संशोधन के रूप में न रखा जाय और आपस ही में बातचीत करके तय कर लिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प की पंक्ति पांचवीं के शब्दों "किन्तु उपरोक्त कारणों से" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्न संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया जाय—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार २७ फरवरी, १९५३ तथा १३ मार्च, १९५३ को उक्त महीनों के क्रमशः चौथे तथा दूसरे शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में सरकारी कार्यों की अपेक्षा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की अग्रगामिता (प्रेसीडेंस) होगी। यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक १९५३–५४ वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की मांगों के विषय में मतदान (वोटिंग आफ डिमांड्स) के लिये ही निश्चित रहें।"

मैं समझता हूं कि यह तारांकित 'भी' शब्द भी निकाल दिया जाय इसलिये कि यह भी अनावश्यक है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन २ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ फ़रवरी, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

उत्तर प्रदेश के पटवारियों के इस्तीफे की सूची जिलेवार जो अब तक प्राप्त हुई हैं।

क्रम संख्या	जिलों के नाम	पटवारियों के इस्तीफे की संख्या
१	देहरादून	५८
२	सहारनपुर	५७२
३	मुजफ्फरनगर	४५७
४	मेरठ	६२२
५	बुलन्दशहर	४९५
६	अलीगढ़	४९८
७	मथुरा	४२८
८	आगरा	५१५
९	मैनपुरी	४००
१०	ऐटा	३७७
११	बरेली	५८४
१२	बिजनौर	५२०
१३	बदायूं	६००
१४	मुरादाबाद	६४१
१५	शाहजहांपुर	४७६
१६	पीलीभीत	२९२
१७	फरुखाबाद	४७२
१८	इटावा	३५५
१९	कानपुर	४९४
२०	फतेहपुर	१३२
२१	इलाहाबाद	११
२२	झांसी	३६
२३	जालौन	३२
२४	हमीरपुर	५६७
२५	बांदा	६१७
२६	बनारस	५९२
२७	मिर्जापुर	४५६
२८	जौनपुर	५६७
२९	गाजीपुर	५६६

क्रम संख्या	जिले का नाम	पटवारियों के इस्तीफे की संख्या
३०	बलिया	५२२
३१	गोरखपुर	८०७
३२	बस्ती	२८५
३३	आजमगढ़	१०४७
३४	देवरिया	७२२
३५	नैनीताल	३८
३६	लखनऊ	२७९
३७	उन्नाव	५०५
३८	रायबरेली	५१५
३९	सीतापुर	५२३
४०	हरदोई	६१२
४१	खीरी	३०४
४२	फैजाबाद	७४२
४३	गोंडा	८५४
४४	बहराइच	४२६
४५	सुल्तानपुर	६९७
४६	प्रतापगढ़	४५८
४७	बाराबंकी	५५७
४८	रामपुर	४०
	योग	२४,४६५

प्रेस प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

	डेरी	पिगरी	इसके अलावा केसिन, डेरी एपलाइन्सेज गुड्स
१९४८–१९४९			
नवम्बर १, १९४८ से मार्च ३१, १९४९	१,५३,५७३३०	२,३३५७०५०	५८१७,१२०
१९४९–१९५०	३५८ ७०८१००	३१३३१५८६	१०४९०५९
१९५०–१९५१	२९२१२९१४०	३९२१४८४६	१६६६८९०
१९५१–१९५२	१३०२२२१३६	३१०१९६३०	२५२०२१२०
१९५२–१९५३, दिसम्बर १९५२ तक।	६३७८९१०३	१२९८९५८०	२३०४१११०